153/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 153/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09–01–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 16.06.16 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर का पत्रांक 412–413 दिनांक 21.04.2016 के संबंध में:–
> 1. उपरोक्त पत्र आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर/आर नम्बर की सूचना।
> 2. पत्र प्राप्ति से इस पत्र का जबाब देने तक जो जो कार्यवाही आप द्वारा की गई उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रतिलिपि।
> 3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
> 4. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत जांच का पत्र पहुंचने पर जांच रिपोर्ट जिस अवधि के भीतर भेजनी आवश्यक है उसकी सूचना व लोक सेवा गांरटी अधिनियम की इस नियम से संबंधित प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 5. आपद्वारा जांच रिपोर्ट में लगने वाले समय की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 16.06.16 के द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा बिन्दूवार उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 4913 दि0 20.10.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 27.06.16 को प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र सं0 चुनाव/सू.का.अधि.2005/2016/4880 दिनांक 13.07.16 के द्वारा अपीलार्थी को दे दिया गया था।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 4880 दिनांक 13.07.16 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया हैः–

> उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, श्रीगंगानगर के पत्रांक 412 दिनांक 21.04.2016 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 22.04.2016 को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के संबंध में जांच संबंधी दस्तावेज इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/4832 दिनांक 12.05.2016 को श्रीमान निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम.) श्रीगंगानगर को भिजवा दी गई है।
>
> श्रीमान निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम.) श्रीगंगानगर द्वारा जांच संबंधी दस्तावेज भेजने के बाद पुनः इस कार्यालय को प्राप्त हुआ जिसका जबाब इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/4869 दिनांक 13.06.2016 को पुनः जबाब भिजवा दिया। इसके संबंध में यदि आपको दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी है तो इस कार्यालय में कार्यालय दिवस में, कार्यालय समय में नियमानुसार राशि/टिकट दे करके प्राप्त कर सकते है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O

153/2016

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 1 से 5 तक की जो सूचनाएं चाही गई है वह कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 13.07.2016 सही है फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

230-31
25-1-17

आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सा/-

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर